बिहार राज्य जैव विविधता पर्षद् के 10वीं बैठक की कार्यवाही

उपस्थितिः–

अध्यक्ष तथा सभी 5 पदेन सदस्य एवं पर्षद् के सचिव उपस्थित – यथा पंजी।

कार्यवाहीः–

उपस्थित सदस्यों के स्वागत के उपरान्त कार्यावली बिन्दुओं पर सचिव, बिहार राज्य जैव विविधता पर्षद् द्वारा प्रस्तुति की गयी एवं पर्षद् द्वारा इन पर निम्नवत् विचारण किया गया।

कार्यावली संख्या	विषय–वस्तु एवं कार्यवाही का अभिलेखन
1–	**पर्षद् के 9वीं बैठक के कार्यवाही की सम्पुष्टि।**
10.1 कार्यवाही की सम्पुष्टि	पर्षद् के 9वीं बैठक की कार्यवाही सम्पुष्ट की गयी।
2–	**वार्षिक कार्य योजना के प्रगति की समीक्षा।**
10.2 वार्षिक कार्य योजना प्रगति	वार्षिक कार्य योजना के प्रगति की समीक्षा की गयी, जिनके मुख्य बिन्दु/निर्देश/निर्णय निम्नवत् हैंः– **(i) विरासत वृक्षों की पहचान, सत्यापन एवं नया सर्वेक्षण।** 04 जिलों–भागलपुर, मुंगेर, जमुई तथा बक्सर से चयनित 30 वृक्षों को विरासत वृक्ष घोषित करने सम्बन्धी तैयार किये जा रहे प्रस्ताव को यथाशीघ्र समर्पित करने का निर्देश दिया गया। साथ ही शेष जिलों में उपयुक्त वृक्ष के चयन हेतु तैयार ऐप को शीघ्र लॉन्च कराने की अपेक्षा की गयी। इस संदर्भ में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को भेजे गये प्रारूप मार्गदर्शिका के सम्बन्ध में सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा विचार व्यक्त किया गया कि वन क्षेत्र के बाहर अवस्थित विरासत वृक्ष की घोषणा के उपरान्त ऐसे वृक्षों के संरक्षण एवं प्रबन्धन के विषय में विनिर्दिष्ट व्यवस्था के प्रावधान वांछित हैं, ताकि इसमें व्यावहारिक कठिनाई न हो, तथा यह व्यापक रूप से अन्य विभागों एवं संगठनों के लिए मान्य हों। अतएव राज्य सरकार के तरफ से मार्गदर्शिका निर्गत करने के पूर्व इन पहलुओं की सम्यक् समीक्षा वांछित है। **(ii) पंचायत, प्रखण्ड एवं जिला स्तरीय जैव विविधता प्रबंधन समितियों का प्रशिक्षण।** जैव विविधता प्रबंधन समितियों के क्षमता विकास एवं उन्हें क्रियाशील बनाने हेतु जिला एवं अनुमण्डल मुख्यालयों में कराये जा रहे एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशालाओं के आयोजन व्यवस्था तथा अद्यतन प्रगति पर चर्चा की गयी।

अब तक कराये गये 16 प्रशिक्षण कार्यशालाओं में हुए औसत व्यय (प्रति कार्यशाला– ₹ 3.75 लाख) के अनुरूप शेष कार्यशालाओं के आयोजन हेतु पुनरीक्षित बढ़े हुए व्यय लक्ष्य ₹ 187.5 लाख को अनुमोदित किया गया।

जनवरी से मार्च, 2025 की अवधि में प्रस्तावित 30 प्रशिक्षण कार्यशालाओं का सफल आयोजन संबंधित वन प्रमण्डल पदाधिकारियों की सक्रिय भूमिका पर आश्रित है, अतएव पर्षद् के सचिव के स्तर से वन प्रमण्डल पदाधिकारियों से इस सम्बन्ध में सतत् निर्देशन की अपेक्षा की गयी।

इस संदर्भ में चर्चा में सुझाव दिया गया कि प्रशिक्षण कार्यशाला के उपरान्त जैव विविधता प्रबन्धन समितियों के द्वारा व्यावहारिक क्रिया–कलापों में सहयोजित करने की दिशा में पहल की जाय।

(iii) जन जैव विविधता पंजी का उन्नयन कार्य।

अवगत कराया गया कि गठित सभी जन जैव विविधता समितियों से संबंधित "जन जैव विविधता पंजी" का संधारण कराया गया है। इनका Digitization कार्य प्रगति पर है। Digitization कार्य पूर्ण कराकर इन पंजियों को संबंधित प्रबन्धन समितियों को हस्तगत कराने का निदेश दिया गया।

(iv) पटना, गया एवं भागलपुर तीन शहरों के City Biodiversity Index संबंधी अध्ययन कार्य।

अध्ययन कार्य के प्रक्रिया में प्रस्तावित संशोधन पर चर्चा हुई एवं यह अपेक्षा की गयी कि इस कार्य में प्रगति लाई जाय।

(v) बिहार राज्य की जैव विविधता कार्य योजना तैयार किया जाना।

सचिव, बिहार राज्य जैव विविधता पर्षद् द्वारा अवगत कराया गया कि इस प्रयोजनार्थ गठित कार्यदल की द्वितीय बैठक फरवरी, 2025 में करायी जायेगी तथा इसके उपरान्त एक Workshop प्रस्तावित है। इनमें प्राप्त सूचना/डाटा एवं सुझावों के आधार पर **जैव विविधता कार्य योजना** का Framework Document तैयार करायी जायेगी। इस कार्य को अगले तीन–चार महीनों में पूरा करने का लक्ष्य तय किया गया।

(vi) जैव विविधता विरासत स्थलों की पहचान, घोषणा एवं संरक्षण–प्रबन्ध योजना।

चयनित 4 विरासत स्थलों यथा सारण जिला में चिरांद, औरंगाबाद जिला में टिटाई बिगहा पहाड़ (देव), नालन्दा जिला में हिरण्यक पर्वत (बिहार शरीफ) तथा पूर्वी चम्पारण जिला में भिमलपुर से संबंधित सरकार को प्रेषित प्रस्तावों पर चर्चा हुई।

घोषित होने वाले जैव विविधता विरासत स्थलों के प्रबन्धन के प्रावधानों के सम्बन्ध में चर्चा हुई। इस सम्बन्ध में पर्षद् को अवगत कराया गया कि जैव विविधता अधिनियम

	की धारा–37 के अन्तर्गत जैव विविधता विरासत स्थल की घोषणा का प्रावधान है। ऐसी घोषणा के लिए राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण द्वारा एक मार्गदर्शिका निर्गत है, जिसके आलोक में बिहार राज्य जैव विविधता पर्षद् द्वारा राज्य के लिए सुसंगत दिशानिर्देश वन प्रमण्डल पदाधिकारियों को उपलब्ध कराया गया है। घोषित होने वाले जैव विविधता विरासत स्थलों के संरक्षण – प्रबन्धन हेतु सामान्य प्रावधानों के अलावे विशेष प्रावधान स्थलवार परिस्थितियों के अनुसार निर्धारित होंगे। यह भी स्पष्ट किया गया कि सामान्य प्रावधानों में स्थानीय समुदाय अथवा अन्य हितधारकों के अधिकारों को प्रतिकूल प्रभाव से आमतौर पर मुक्त रखने की व्यवस्था होगी। इस संदर्भ में अध्यक्ष द्वारा यह बताया गया कि प्रस्तावों के सूत्रण में इस पहलु पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है कि conflict situations से परहेज किया जाय। जैव विविधता अधिनियम के प्रावधान, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के प्रावधान की तुलना में समावेशी और लचीले हैं, जो conflicts के निवारण/निदान को सहज बनाते हैं। प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख), बिहार द्वारा विचार व्यक्त किया गया कि वन क्षेत्रों में प्रस्तावित जैव विविधता विरासत स्थलों के लिए घोषणा किया जाना अपेक्षाकृत सहज होगा। विमर्शोपरान्त निर्णय हुआ कि सर्वप्रथम चिरांद (सारण) से संबंधित प्रस्ताव, जिसका स्थल वन क्षेत्र से बाहर अवस्थित है, उसके प्रारूप अधिसूचना का प्राख्यापन प्राथमिकता से करायी जाय। साथ ही वर्त्तमान में निर्धारित 10 स्थलों के लक्ष्य के अनुसार शेष प्रस्ताव अभिलेख स्थल अध्ययन इत्यादि के आधार पर तैयार कराकर सरकार को भेजी जा सकती है। (vii) **अनुसंधान एवं शोध अध्ययन क्रिया–कलाप।** (क) अनुसंधान परियोजनाओं इत्यादि के अनुश्रवण एवं समीक्षा हेतु गठित समिति के अध्यक्ष के मनोनयन हेतु पर्षद् द्वारा प्रस्तावित अध्यक्ष श्री अरविन्दर सिंह, प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–मुख्य वन्य प्रतिपालक, बिहार के सम्बन्ध में प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख), बिहार द्वारा विभाग में कार्य की अधिकता को देखते हुए किसी अन्य विशेषज्ञ को समिति का अध्यक्ष मनोनीत करने का सुझाव दिया गया। अध्यक्ष द्वारा वर्त्तमान में प्रस्तावित व्यवस्था को युक्तिसंगत बताते हुए इसे मान्य करने हेतु विशेष अनुरोध किया गया, जिसपर सम्मति हुई। (ख) अनुसंधान एवं शोध अध्ययन हेतु प्राप्त प्रस्तावों के सम्बन्ध में कार्यावली सं०–3 में विचारण किया गया। (viii) **पर्षद् के लेखाओं का लंबित अंकेक्षण।** (क) पर्षद् को अवगत कराया गया कि इस प्रयोजनार्थ नियुक्त अंकेक्षक द्वारा वित्तीय वर्ष 2022–23 तथा 2023–24 के आन्तरिक अंकेक्षण कार्य प्रगति में है।

	दोनों वर्षों के अंकेक्षण कार्य को फरवरी, 2025 तक पूर्णरूपेण सम्पन्न कराकर अंकेक्षण प्रतिवेदन को पर्षद् की आगामी बैठक में प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया। (ख) 2017–18 से 2020–21 तक के Statutory Audit कार्य हेतु महालेखाकार, बिहार को औपचारिक प्रक्रियात्मक कागजात उपलब्ध करा दी गयी है। महालेखाकार, बिहार से पहल कर Statutory Audit कार्य शीघ्र प्रारंभ कराने का निर्देश दिया गया। **(ix) वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन।** वर्ष 2024–25 के वित्तीय प्रगति की समीक्षा की गयी। लक्षित व्यय की तुलना में वास्तविक व्यय कम रहने के आलोक में वित्तीय वर्ष 2024–25 के व्यय में बढ़ोत्तरी के प्रयास को आवश्यक बताया गया एवं विभिन्न क्रिया–कलापों के सम्पादन में तेजी लाने की अपेक्षा की गयी। वार्षिक कार्य योजना की प्रगति की समीक्षा के अन्त में कुछेक अवयवों में लक्ष्य के बनिस्पत् हुई कम उपलब्धि की भरपाई हेतु संबंधित क्रिया–कलापों में तेजी लाने का निदेश दिया गया।
3 – 10.3 अनुसंधान शोध / अध्ययन	**(i) विशेषज्ञ संस्थानों द्वारा जैव विविधता विषयों पर शोध / अनुसंधान सम्बन्धी 8 प्रस्तावों का अनुमोदन।**
	निम्नांकित 05 विशेषज्ञ सरकारी संस्थानों द्वारा प्रस्तावित 08 शोध अनुसंधान संबंधी प्रस्तावों का अनुमोदन इस निर्देश के साथ किया गया कि सम्बन्धित संस्थानों के साथ इनके सम्पादन में Operational and Financial Procedures & Norms निर्धारित कर इनका क्रियान्वयन प्रारंभ किया जाय। Bihar Animal Science University - 02 प्रस्ताव, ICFRE-Institute of Forest Productivity - 02 प्रस्ताव, ICAR-National Centre for Research on Litchi - 01 प्रस्ताव, ICAR-Research Complex for Eastern Region - 01 प्रस्ताव, ICAR-Central Institute of Subtropical Horticulture - 02 प्रस्ताव; अनुसंधान परियोजनाओं की सूची संलग्न **(अनुलग्नक–क)**
	(ii) जैव विविधता के संदर्भ में Access Benefit Sharing तथा अन्य सम्बद्ध पहलुओं पर अध्ययन क्रिया–कलाप।
	राज्य में जैविक उत्पादों / संसाधनों का विभिन्न जिलों में उनकी उपलब्धता तथा उन तक पहुँच एवं हिस्सेदारी एवं जैव संसाधनों के स्थानीय समुदाय द्वारा उपयोग इत्यादि के संबंध में राज्य में कार्यरत मान्यता प्राप्त संस्थानों से अध्ययन एवं शोध कार्य के प्रस्ताव पर विमर्श किया गया। यह निर्णय हुआ कि इन अध्ययन एवं शोध कार्य के विषयवस्तु की प्रासंगिकता तथा

	उनके Outcome की उपयोगिता एवं इनके regulatory and market based dimensions के संदर्भ प्रस्तावों की समीक्षा कर ली जाय। तदोपरान्त उपयुक्त प्रस्तावों को पर्षद् के विचारण हेतु प्रस्तुत किया जा सकता है।
4— 10.4 जै.वि. अधि. 2002 (संशो. 2023) एवं केन्द्र सरकार की संशोधित नियमावली, 2024 के अनुसरण में बिहार जै.वि. नियमावली, 2017 में संशोधन।	**जैव विविधता अधिनियम 2002 (संशोधन 2023) एवं तदनुसार केन्द्र सरकार द्वारा संशोधित नियमावली, 2024 के अनुसरण में बिहार जैव विविधता नियमावली, 2017 में अपेक्षित संशोधन।** बिहार राज्य जैव विविधता पर्षद् नियम, 2017 के कई प्रावधानों में संशोधन प्रस्तावित किये गये हैं। निर्णय हुआ कि संशोधनों के संबंध में तुलनात्मक व्याख्यापूर्ण विवरणी तथा उससे संबंधित प्रस्तुतिकरण तैयार कर पर्षद् की आगामी बैठक में प्रस्तुत की जाय, जिससे कि प्रस्तावित संशोधनों के संबंध में सम्यक विचारोपरान्त निर्णय/अनुशंसा किया जा सके।
5— 10.5 Internship कार्यक्रम	**महाविद्यालय, विश्वविद्यालय एवं उच्च शैक्षाणिक संस्थानों के विद्यार्थियों के लिए Internship कार्यक्रम** Internship कार्यक्रम को युक्तिसंगत पाया गया, तथा इसके मार्गदर्शिका के प्रावधानों के सम्बन्ध में प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख), बिहार से भी सुझाव प्राप्त कर इसे क्रियान्वित करने का निर्देश दिया गया।
6— 10.6 औद्योगिक परिसरों में जैव विविधता अवयवों का समावेश	**औद्योगिक प्राधिकरण तथा अन्य औद्योगिक परिसरों में पर्यावरणीय संरक्षण के उपायों में युक्तिसंगत जैव विविधता अवयवों का समावेश।** विमर्श में प्रस्ताव को युक्तिसंगत पाया गया एवं निर्णय हुआ कि इस संबंध में Operational Framework / Guidelines तैयार कर पर्षद् की आगामी बैठक में प्रस्तुत की जाय, जिससे कि इस संदर्भ में पर्षद् द्वारा समुचित अनुशंसा/कार्रवाई की जा सके।
7— 10.7 जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में आद्रभूमि की घोषणा।	**बिहार राज्य के वैसे महत्वपूर्ण आद्रभूमि जो या वन्यप्राणी (संरक्षण) अधिनियम, 1972 या आद्रभूमि (संरक्षण एवं प्रबन्धन) नियमावली, 2017 के अन्तर्गत अधिसूचित या अधिसूचना हेतु प्रस्तावित नहीं हों, उन्हें जैव विविधता अधिनियम अन्तर्गत जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में घोषित कर संरक्षणात्मक प्रबन्धन।** इस प्रस्ताव को सिद्धांत रूप में विचारण के योग्य पाया गया। सुझाव दिया गया कि इस सम्बन्ध में Bihar State Wetlands Authority से परामर्श कर एक operative modalities and guidelines तैयार की जाय जिसपर आगामी बैठक में विचार किया जा सके।

8— 10.8 रिक्त पदों पर नियुक्ति।	**रिक्त पदों पर नियुक्ति की कार्रवाई।** (i) पर्षद् में संविदा आधारित स्वीकृत कार्यबल में 05 रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु जारी प्रक्रिया की प्रगति की सूचना दी गयी। अवगत कराया गया कि 03 पदों के लिए ही Eligible Candidates के आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से योग्य आवेदक का चयन कर नियुक्ति प्रक्रिया फरवरी माह तक सम्पन्न कर ली जायगी। (ii) सहायक, वरीय सहायक तथा लेखा पदाधिकारी के संविदा आधारित पदों के अर्हता में केंद्र सरकार के कार्यालय से भी सेवानिवृत्त कर्मियों के नियोजन का प्रावधान किये जाने के बिन्दु पर यह निर्देश दिया गया कि पदवार अर्हता श्रेणियों के सुस्पष्ट विवरण के साथ प्रस्ताव आगामी बैठक में प्रस्तुत की जाय।
9— 10.9 क्षेत्रीय स्तर पर जैव विविधता कार्यक्रम सहकर्मी का नियोजन।	**क्षेत्रीय स्तर पर जैव विविधता प्रबन्ध समितियों के सहायता एवं अन्य कार्यों हेतु जिलों के लिए जैव विविधता कार्यक्रम सहकर्मी तथा राज्य स्तर पर जैव विविधता कार्यक्रम समन्वयक का नियोजन।** लक्षित कार्य में अपेक्षानुसार प्रगति नहीं होने पर चिन्ता व्यक्त की गयी तथा यथा—शीघ्र इसका व्यावहारिक समाधान की अपेक्षा की गयी।
10— 10.10 कार्यक्षमता के सुदृढ़ीकरण हेतु कार्यबल में वृद्धि।	**पर्षद् की कार्यक्षमता के सुदृढ़ीकरण हेतु कार्यबल में वृद्धि।** नए पदों के लिए पदवार अतिरिक्त वित्तीय प्रावधान की आवश्यकता का आकलन, अहर्ता तथा कार्य एवं दायित्व के विवरण को दर्शाते हुए विस्तृत प्रस्ताव को आगामी बैठक में प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया।
11— 10.11 विज्ञापनों के प्रकाशन हेतु प्रक्रिया।	**विज्ञापनों के प्रकाशन हेतु पर्षद् द्वारा सीधे सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग को अनुरोध के साथ विज्ञापन सामग्री भेजने की व्यवस्था।** पर्षद् द्वारा अपने विज्ञापनों को समाचार पत्रों में प्रकाशन हेतु विज्ञापन सामग्री पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग के माध्यम से भेजने के बजाय सीधे सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग को अनुरोध के साथ भेजे जाने की व्यवस्था/प्रक्रिया को अनुमोदित किया गया। इसके लिए वित्तीय आवश्यकता का आकलन कर बजट में प्रावधान रखने का सुझाव दिया गया।
12— 10.12 कार्यालय स्थान की व्यवस्था।	**पर्षद् कार्यालय के लिए बड़े कार्यालय स्थान (Office Space) की व्यवस्था।** अतिरिक्त कार्यालय स्थान की व्यवस्था के प्रस्ताव पर सैद्धांतिक सहमति दी गयी तथा पुराने दर के बजाय भवन निर्माण विभाग से अद्यतन पुनरीक्षित सरकारी दर प्राप्त कर इस पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया।
13— 10.13 वाहन की व्यवस्था	**पर्षद् कार्यालय के लिए वाहन की व्यवस्था।** प्रस्तावित नये वाहन के क्रय करने के बजाय किराये के वाहन की व्यवस्था पर सहमति दी गयी।

14— 10.14 बिहार वानिकी महाविद्यालय एवं अनुसंधान संस्थान की सहभागिता से क्रिया—कलाप।	**बिहार वानिकी महाविद्यालय एवं अनुसंधान संस्थान, मुंगेर की सहभागिता से प्रशिक्षण एवं शोध/अनुसंधान क्रिया—कलाप।**
	(क) जैव विविधता विषयों पर बिहार वानिकी महाविद्यालय एवं अनुसंधान संस्थान, मुंगेर में वन अधिकारियों एवं अन्य विभाग/संगठन के लिए प्रस्तावित प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजन को अनुमोदित किया गया। (ख) Long Term Biodiversity and Ecosystem Monitoring & Research Station/ Facility की स्थापना। प्रस्ताव के संदर्भ में अनुश्रवण एवं शोध केन्द्र की आवश्यकता एवं उपयोगिता पर विचार किया गया। अध्यक्ष द्वारा यह अवगत कराया गया कि इस प्रकार का दीर्घकालिक अनुश्रवण एवं शोध कार्य वानिकी अनुसंधान संस्थान एवं बिहार राज्य जैव विविधता पर्षद् की सहभागिता से तथा ऐसे क्रिया—कलापों से संबंधित विशेषज्ञ संस्थानों के सहयोग से संचालित किया जा सकता है। सिद्धांत रूप में इसे विचारण योग्य पाया गया। आगे की कार्रवाई हेतु सर्वप्रथम Long Term Biodiversity and Ecosystem Monitoring & Research Station/ Facility के स्थापना एवं संचालन की रूप—रेखा एवं व्यवस्था इत्यादि का व्यावहारिक सूत्रण कर प्रस्ताव तैयार करने की अपेक्षा की गयी।

धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक सम्पन्न हुई।

17/1/25
(एस० चन्द्रशेखर)
सचिव,
बिहार राज्य जैव विविधता पर्षद्, पटना।

भारत 17/1/25
(भारत ज्योति)
अध्यक्ष,
बिहार राज्य जैव विविधता पर्षद्, पटना।

14— 10.14 बिहार वानिकी महाविद्यालय एवं अनुसंधान संस्थान की सहभागिता से क्रिया—कलाप।	**बिहार वानिकी महाविद्यालय एवं अनुसंधान संस्थान, मुंगेर की सहभागिता से प्रशिक्षण एवं शोध/अनुसंधान क्रिया—कलाप।**
	(क) जैव विविधता विषयों पर बिहार वानिकी महाविद्यालय एवं अनुसंधान संस्थान, मुंगेर में वन अधिकारियों एवं अन्य विभाग/संगठन के लिए प्रस्तावित प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजन को अनुमोदित किया गया। (ख) Long Term Biodiversity and Ecosystem Monitoring & Research Station/ Facility की स्थापना। प्रस्ताव के संदर्भ में अनुश्रवण एवं शोध केन्द्र की आवश्यकता एवं उपयोगिता पर विचार किया गया। अध्यक्ष द्वारा यह अवगत कराया गया कि इस प्रकार का दीर्घकालिक अनुश्रवण एवं शोध कार्य वानिकी अनुसंधान संस्थान एवं बिहार राज्य जैव विविधता पर्षद् की सहभागिता से तथा ऐसे क्रिया—कलापों से संबंधित विशेषज्ञ संस्थानों के सहयोग से संचालित किया जा सकता है। सिद्धांत रूप में इसे विचारण योग्य पाया गया। आगे की कार्रवाई हेतु सर्वप्रथम Long Term Biodiversity and Ecosystem Monitoring & Research Station/ Facility के स्थापना एवं संचालन की रूप—रेखा एवं व्यवस्था इत्यादि का व्यावहारिक सूत्रण कर प्रस्ताव तैयार करने की अपेक्षा की गयी।

धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक सम्पन्न हुई।

ह०/—
(एस० चन्द्रशेखर)
सचिव,
बिहार राज्य जैव विविधता पर्षद्, पटना।

ह०/—
(भारत ज्योति)
अध्यक्ष,
बिहार राज्य जैव विविधता पर्षद्, पटना।

ज्ञापांकः— बी० 23

दिनांकः— 17/01/2025

<u>प्रतिलिपिः</u>— पर्षद् के सभी पदेन सदस्य।

1. प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना।
2. प्रधान सचिव, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना।
3. सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग, बिहार, पटना।
4. सचिव, कृषि विभाग, बिहार, पटना।
5. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख) बिहार, पटना।

Email 20/1/25

17/1/25
(एस० चन्द्रशेखर)
सचिव,
बिहार राज्य जैव विविधता पर्षद्, पटना।

List of Research / Special Study Projects

Sl. No.	Name of Institution	Title of the Project	Duration	Cost Estimate (Rs.in Lakh)	Area / Districts to be covered	Expected Outcomes	Biodiversity Conservation related significance
I.	**Agro-biodiversity (Animal Husbandry) related Projects**						
1	**Bihar Animal Sciences University, Patna**	A Comparative Study on Purnea Cattle & Co-habitat Cattles in Kosi and Mahananda Agro-ecological region of Bihar.	24 months	15.00	Purnea, Katihar & Araria districts of Koshi plain and Kishanganj district of Mahananda agro-ecological sub-region.	1. Socio-ecological profile and rearing practices of Purnea cattle in its native tractalong with other co-habitat cattle. 2. Constrain faced by the farmers in adoption of improved cattle rearing practices. 3. Strategies to make Purnea cattle rearing sustainable, resilient and economically viable.	1. Develop policy for making Purnea cattle rearing self-sustainable & economically viable. 2. To improve the economics of farmers engaged in rearing of indigenous species, as Purnea cattle. 3. Develop a potential marketing system for value added products of milk, etc.
2	**Bihar Animal Sciences University, Patna**	Documentation and Testing of ITKs used in Animal Husbandry Sector by Tribals and Non-tribal communities of Bihar.	30 months	21.483	W. Champaran, Supaul, Kaimur, Rohtas, Gaya, Nawada, Banka, Jamui, Nalanda, Munger, Bhojpur, Madhubani, Siwan, Gopalganj.	1. Documentation of different ITKs practiced by farmers in livestock production & their treatment. 2. Awareness about different ITKs, on-campus and off-campus training to farmers. 3. Effective Conservation and Propagation of indigenous species.	1. Identification & documentation of different ITKs and their promotion among the farming communities to reduce their cost of livestock production and their treatment. 2. Use of ITKs to improve livestock health & productivity.
3	**ICAR-Research Complex for Eastern Region, Patna**	Study on Biodiversity of Duck Germplasm in Bihar using Machine learning models for Sustainable Conservation and Enhancing Farm Productivity.	36 months	10.00	East Champaran, Araria, Kishanganj, Katihar & Madhepura.	1.Digital Characterization of Indigenous Ducks of Bihar for their in-situ Conservation. 2.Enhancing Farm Productivity vis-à-vis profitability from duck rearing. 3.Better breed characterization & productivity.	1.Identification of duck species. 2.Support for biodiversity conservation. 3.Developing Conservation Policies & Management. 4.Public awareness.

II.	**Forest Landscapes / Forestry Sector related projects**						
4	**ICFRE-Institute of Forest Productivity, Ranchi (Jharkhand)**	Resource Assessment of Major Non-Timber Forest Produce: A Study for the Floral Biodiversity Conservation in select Terrestrial Forest Ecoregions of Southern Bihar.	24 months	18.37	Nawada, Aurangabad, Gaya & Nalanda /Rajgir – part of the North Chotanagpur Forest Eco-region.	1. LULC- based distribution status of major NTFP resources. 2. Potential Hotspot maps of phyto-diversity rich sites. 3. Potential Habitat Map. 4. To propose knowledge-based conservation & management strategies for Sustained Utilization practices.	The study will provide evidence-based information on NTFP resources, prioritized areas and potential threats to their numbers. This will help the SFD in formulating interventions for arresting loss of respective biodiversity attributes, their restoration and enhancement.
5	**ICFRE-Institute of Forest Productivity Ranchi (Jharkhand)**	Assessing the Impact of Forest Fires on Biodiversity amid Climate Change and other anthropogenic factors.	24 months	17.22	Nawada & Gaya	1. LULC profile of the area. 2. Potential Forest Fire Hotspots Map. 3. To understand the ecological consequences of recurring forest fires in the area. 4. Map depicting the distribution of invasive species in the area of study. 4. Suggestions for action/intervention for conservation & management strategies to promote regional biodiversity amid forest fire and invasion threat.	It will help to assess the impact of forest fires on Biodiversity in relation to forest fire hot-spots & invasive species. LULC-wise floral distribution in the area. Will offer a knowledge-based information in decision making for biodiversity conservation in the region and elsewhere.
III.	**Agro-biodiversity – Horticulture (Native Fruits) related projects**						
6	**ICAR-National Research Center on Litchi, Muzaffarpur (Bihar)**	Entomofaunal Dynamics in Litchi Agri-horticulture System: Diversity, Abundance and Ecological Interaction.	30 months	23.10	Muzaffarpur, Vaishali, Samastipur & East Champaran.	1. Identification of major insect pests, pollinators, and other benefactors of litchi. 2. Diversity and abundance of insect visitors in litchi cultivation. 3. Assessment of the impact of insect visitors on litchi production and fruit quality.	Study of the critical role of insect diversity in pollination and ecosystem health, highlighting the need for conservation efforts that integrate agricultural productivity with biodiversity conservation.

7	**ICAR-Central Institute for Subtropical Horticulture, Lucknow (UP)**	Evaluation of diversity & decline of **indigenous seedling mango** (biju aam) of Bihar and Study for its Conservation Strategy – Phase II: 2024-2026 (in extension to Phase-I: 2022-2024)	24 months	16.65 (11.10 lakh for Phase-II and 5.55 lakhs for Phase-I)	12 more Districts (7 Districts covered in Phase-I, Muzaffarpur, Samastipur, Madhubani, Vaishali, Darbhanga, East & West Champaran)	1. Studies of morphological, biochemical and molecular Diversity of seedling mango. 2. Number of genotypes registered with ICAR-NBPGR and/or PPV & FRA, New Delhi as Farmer's variety. 3. Number of identified seedling mango commercialized through multiplication & benefit sharing on PPP mode.	1. Area expansion and evolving conservation strategies for elite type seedling mango of Bihar. 2. Due recognition to farmers having diversity and formation of groups for Biodiversity Conservation of seedling mango genome.
8	**ICAR-Central Institute for Subtropical Horticulture, Lucknow (UP)**	Evaluation of Diversity of **Underutilized Fruits** of Bihar – Study for its Conservation & Utilization Strategy	36 months	16.77	Kaimur, Rohtas, Aurangabd, Gaya, Nawada, Jamui, Banka, Munger, Bhagalpur & West Champaran.	1. Studies of morphological, biochemical and molecular Diversity. 2. Number of genotypes registered with ICAR-NBPGR and/or PPV & FRA, New Delhi as Farmer's variety. 3. Number of genotypes commercialized through multiplication & benefit sharing on PPP mode.	1. Area expansion and evolving conservation strategies for underutilized fruit crops of Bihar. 2. Due recognition to farmers having diversity and formation of groups for Biodiversity Conservation of underutilized fruit crops.
		Total		**133.043**			